

01/11/2025
2025/620

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)


कमांक/रीडर/2025/4126

दिनांक 13/11/2025

उपरोक्त प्रकरण : कुलाशचरबाणी बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 261/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयक संबंधित लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 09/भूअ./2025 दिनांक 07/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम नार पटवार हल्का हुरदासबाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में नूंगे खाता संख्या 119 में खातेदार कुलाशचरबाणी पुत्र बांटास्य के स्थान पर कुलाशचरबाणी पुत्र बांटास्य बाणी का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हुरदासबाणी उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 05/11/2025

कमांक/रीडर/2025/4127-28
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हुरदासबाणी तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

261 / 10-10-25 3257620
 आदेश (शिविर स्थान - दिनांक -)

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का - उरवास 20 918 जांच प्रतिवेदन भू अभिलेख
 निरीक्षक वृत - शाहल जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा संलग्न टहसीलदार -
 आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व
 ग्राम - गारे के खाता संख्या - 179 में पटवारी का
 नाम के लक्ष्मण दास पुत्र बोद्ध दास जति खत्री के स्थान पर
के लक्ष्मण चन्द पुत्र बोद्ध दास जति खत्री टहें कर दुस्त
 किया जाता है।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक:-

दिनांक:-

-:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिविर:- दिनांक:- को (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
 1956 की धारा:- 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:-..... पटवारी हल्का:-
तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-
में खातेदार पुत्र
 का नाम दुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का:-
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

उप-खण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

संलग्न:- दुरुस्ति आदेश

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत:-..... को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का:-को पालनार्थ

उप-खण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर